न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 17/2023

1. मनीराम पुत्र भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

1. कमला पुत्री भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल रेस्पोडेन्ट

3. आदराम पुत्र भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. माडुराम पुत्र भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
5. कृष्ण पुत्र भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
6. रामकुमार पुत्र भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।
7. बिदामी पुत्री भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर।

–फोरमल रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक–31.07.2024

अपीलांट मनीराम पुत्र भीयाराम जाति बावरी निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा मातहत अदालत तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर के निर्णय दिनांक 17.07.2023 जिसकी रूह से इन्तकाल सं. 1324 दिनांक 07.07.2023 तस्दीक किया गया को, अपास्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलान्ट व रेस्पोडेंन्टस सं. 1 व 3 ता 7 के पिता भीयाराम पुत्र कालुराम की पैदा कर्दा कृषि भूमि रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के ख.नं. 241/1 की [illegible] हैक्टेयर, ख.नं. 267/1 की 4.0470 हैक्टर भूमि ख.नं. 554/248 की 0.5060

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हैक्टेयर ख.नं. 67/2 की 1.8720 हैक्टेयर कुल तादादी 10.6610 हैक्टेयर भूमि थी, जिसकी वसीयत भींयाराम ने अपने जीवनकाल में स्वस्थचित, मन व स्वेच्छा से बराबरू गवाहन दिनांक 17.07.19 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 6 के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने श्रीमान एस.डी.ओ. की अदालत में एक दावा बअनवानी कमला बनाम भीयाराम आदि पेश किया तथा दावा के साथ अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसका नोट जमाबन्दी में अंकन किया गया व वर्तमान में भी दर्ज है।

2. भीयाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा भीयाराम की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही तहसीलदार नोहर में पेश की गयी पत्रावली सं. 46/2022 तथा अखबार में आपति की विज्ञप्ति भी जारी की गयी किन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश का हवाला देकर रेस्पोडेन्ट द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर वसीयतानुसार नामान्तरण दर्ज नही होने दिया गया।

3. हल्का पटवारी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 को गुमराह करके समस्त कार्यवाहीयो का ज्ञान रहते हुऐ विवादित भूमि का विरास्तन नामान्तरण दिनांक 17.07.2023 को पारित किया गया है, जो निम्न आधारो पर अपील योग्य है।

(क) मातहत अदालत रेस्पोडेन्ट सं. 1 का अपीलकृत आदेश मन माना स्वेच्छाचारिता पूर्ण और एक पक्षीय निर्णय है जो विधि विरूद्ध ही नही अपीलान्ट को जान बुझकर नुक्शान पहुचाने वाला है जिसमें सरंपच के साथ हल्का पटवारी व गिरदावर भी दोषी है क्योंकि जब वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार कार्यालय में कार्यवाही विचाराधीन है तो विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही किया जा सकता है एक कार्यवाही के चलते नियमानुसार दुसरी कार्यवाही नहीं चल सकती है। उसी आधार पर अपील स्वीकार योग्य है।

(ख) मातहत अदालत को गुमराह करके आदेश पारित करवाया है। जब कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। तब मातहत अदालत उपरी अदालत को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोई निर्णय पारित नहीं कर सकती है। इसी आधार पर अपील स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested

(ग) जब तक सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत निरस्त नहीं होती है, तब तक वसीयत प्रभावी है। मातहत अदालत ने सिविल कोर्ट को ही प्रभावित करने के उददेश्य से निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है अपील स्वीकार योग्य है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(घ) हल्का पटवारी जो बहुत तेज तर्रार व राजनैतिक में भाग लेने वाला है, ने मातहत अदालत के सभी तथ्यों की जानकारी रखते हुए नामान्तरण गलत दर्ज किया तथा अदालत को गुमराह करके अपीलकृत आदेश पारित करवाया है रेस्पोडेन्ट सं. 1 से मिलकर सारी कार्यवाही कुटरचित की है क्योंकि मातहत अदालत को ना तो वसीयत की जानकारी दी ना न्यायालयो में चल रहे विवादो की जानकारी दी। सिविल कोर्ट की कार्यवाही की भी जानकारी नही दी ना अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया ना कोई नोटिस दिया सारी कार्यवाही एक पक्षीय करके उच्च न्यायालयो को प्रभावित करते हुए गुप–चुप तरीके से कार्यवाही की गयी है, जो विधि विरूद्ध है। जब मातहत अदालत में वसीयत के नामान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन थी तथा मिसल सं. 46/2022 मनीराम बनाम स्टेट विचाराधीन है, तो अपीलकृत आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

(ड) मातहत अदालत का निर्णय न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। न्याय की मन्शा सभी पक्षो को सुनवाई का अवसर व जवाब लेने के पश्चात निर्णय पारित किया गया है, जो उस पत्रावली में कहीं दर्ज नहीं है। इसलिए विधि विरूद्व है, अपीलकृत आदेश निरस्त योग्य है।

4. अपील के अन्य कानूनी बिन्दु वरवक्त बहस निवेदन कर कर दिये जावेगें।

5. अपीलकृत आदेश दिनांक 17.07.2023 को है इसलिए अपील अन्दर मियाद है।

6. अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि मातहत अदालत से रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के नामान्तरण सं. 1324 दिनांक 07.07.2023 तस्दीक दिनांक 17.07.2023 सहित पूरी पत्रावली तलब कर निर्णय दिनांक 17.07.2023 अपास्त किया जाकर वसीयत दिनांक 17.07.2019 के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। [illegible] की जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 ता 7 [illegible] भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 ता 7 के विरुद्ध [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेंन्टस सं. 1 व 3 ता 7 के पिता भींयाराम पुत्र कालुराम की पैदा कर्दा कृषि भूमि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख.नं. 241/1 की 4.236 हैक्टेयर, ख.नं. 267/1 की 4.0470 हैक्टेयर भूमि ख.नं. 554/248 की 0.5060 हैक्टेयर ख.नं. 67/2 की 1.8720 हैक्टेयर कुल तादादी 10.6610 हैक्टेयर भूमि थी, जिसकी वसीयत भीयाराम ने अपने जीवनकाल में स्वस्थ चित, मन व स्वेच्छा से दिनांक 17.07.2019 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 6 के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी नोहर की अदालत में एक दावा बअनवानी कमला बनाम भीयाराम आदि पेश किया तथा दावा के साथ अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसका नोट जमाबन्दी में अंकन किया गया व वर्तमान में भी दर्ज है। जब किसी भूमि का वाद किसी न्यायालय न्यायालय में जैरकार होतो तो उसकी नामान्तरण आदि की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, इस हेतू निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. DNJ 2023(1) (Rev.) 103

2. DNJ 2021 (2)(Rev.) 1245

अतः नामान्तरण संख्या 1324 दिनांक 07.07.2023 को अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव अपीलाधीन नामान्तरण का अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करनें पर पाया कि अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 ता 6 के पिता भींयाराम पुत्र कालूराम द्वारा दिनांक 17.07.2019 को अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 6 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई एंव वसीयत में वर्णित भूमि को स्वंय की पैदाकर्दा भूमि होना अंकित किया गया जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 11.09.2000 को उप पंजीयक नोहर द्वारा पंजीकृत बैयनामा में 2.00 बीघा भूमि क्रय होना साबित होता है जबकि भींयाराम पुत्र कालूराम द्वारा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज समस्त भूमि 10.6610है0 की दिनांक 17.07.2019 को वसीयत निष्पादित की [illegible] लेकिन कोई व्यक्ति स्वअर्जित भूमि/सम्पति की वसीयत कर सकता है एवं पैतृक भूमि/सम्पति की अपने हक व हिस्से की हद तक ही वसीयत निष्पादित कर सकता है जबकि भींयाराम पुत्र कालूराम द्वारा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज 10.6610है0 की वसीयत निष्पादित की गई। भीयांराम पुत्र कालूराम की स्वअर्जित केवल 2 बीघा भूमि होना साबित होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार नोहर द्वारा भीयांराम पुत्र कालूराम के दिनांक 19.06.2022 को फौत होनें पर विरासतन नामान्तरण संख्या 1324 दिनांक 07.07.2023 तस्दीक किया गया, जो विधि सम्मत एंव उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 1324 दिनांक 07.07.2023 विरासतन दर्ज कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा नामान्तरण पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested